(9) (6)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

प्रकाश चन्द्र शर्मा I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
14/2020	2020/00052	27.11.2020	28.02 2022

1. श्री नन्दलाल लुहारिया पिता श्री देवा गायरी निवासी बसाड
2. श्री अनन्तनारायण लौहारिया पिता श्री देवा गायरी निवासी बसाड
3. श्री अनुरन्जन लौहारिया पिता श्री देवा गायरी निवासी बसाड
4. श्रीमती सज्जन बाई पुत्री देवा गायरी पत्नि श्री भंवरलाल गायरी निवासी मगरोडा
5. श्रीमती जमनाबाई पिता श्री देवा पत्नि श्री प्रभुलाल गायरी निवासी कनोरा तहसील प्रतापगढ़

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. श्री रतन लाल पिता श्री लिम्बा गायरी निवासी बसाड लाऔलाद (विलोपित)
2. श्री विनोद पिता श्री कंवरलाल गायरी निवासी चेनियाखेडी

:– रेस्पोडेन्टस

अपील रेवेन्यु अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 16.01.2019

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट स्वयं
2. श्री ललित शुक्ला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–2

–: आदेश :–

दिनांक :– 28.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 796 स्वीकृति दिनांक 16.01.2019 द्वारा तहसीलदार, प्रतापगढ़ के विषय में प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया कि :–

राजस्व ग्राम मानपुरा कथागरा पटवार हल्का/भू.अ.नि. वृत एवं तहसील तथा जिला प्रतापगढ़ की खाता संख्या 109 में दर्ज आराजी संख्या 171 रकबा 0.53 हैक्टर एवं आराजी संख्या 176/117 रकबा 1.61 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 2.14 हैक्टर भूमि विगत राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार श्री देवा पुत्र लिम्बा गायरी तथा रतनलाल पुत्र लिम्बा गायरी के 1/2 – 1/2 हक हिस्से से अविभाजित स्थिति में राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी में दर्ज रही है।

उक्त भूमियों के संबंध में सह खातेदारान श्री रतनलाल एवं देवा पुत्र लिम्बा गायरी द्वारा एवं एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 188 – 92 A एवं 209 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् परगमनकर्ता श्री मांगीलाल पिता गंगाराम गायरी एवं श्रीमति बुलाकबाई पत्नि श्री मगनलाल आंजना निवासियान बसाड़ के विरूद्ध वर्ष 2011 से जरिये प्रकरण संख्या 183/2011 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA– 1955 के तहत् जरिये प्रकरण संख्या 149/2011 से विचाराधीन हो उक्त प्रकरण में माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2016 को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित नामान्तरकरण से संबंधित भूमियों की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु स्थगन व्यादेश जारी किया हुआ है।

इसके उपरान्त भी उक्त भूमियों के संयुक्त अविभाजित खातेदारी में अपीलार्थीगण के पिता एवं श्री रतनलाल पुत्र लिम्बा गायरी के नाम दर्ज रहते हुए भी सह–खातेदार श्री रतनलाल पुत्र लिम्बा गायरी द्वारा उक्त

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

(10) (7)

भूमियों का अन्यथा व्ययन बेचान अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेज से अन्तरण कर दिया गया जबकि उक्त भूमियों के अविभाजित संयुक्त खातेदारी में रहते हुए बिना हक–हिस्सा मौका एवं राजस्व रिकार्ड में निर्धारित कराए एवं माननीय सक्षम न्यायालय से जारी स्थगन व्यादेश के संचालित रहते उक्त भूमियों का बेचान एवं राजस्व रिकार्ड में किया गया अन्तरण अवैध होने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्ट्रर कि जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या–1 फौत होने बाबत् प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम विलोपित किये जाने उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या – 2 कि ओर से अधिवक्ता श्री ललीत कुमार शुक्ला द्वारा वकालत नामा मय जवाब अपील दिनांक 05.04.2021 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है।

प्रकरण में नियत विविध तारीख पेशीयों उपरान्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा कई अवसर चाहे जाने पश्चात् भी बहस अपील अन्तिम पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं निवेदन दिनांक 25.02.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपील में बहस अन्तिम एक पक्षीय अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस मूख्य रूप से अपील मेमों में वर्णित कथनों एवं रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत विविध दस्तावेजों के हवाले से अवगत कराया कि राजस्व ग्राम मानपुरा की खाता संख्या 109 में दर्ज भूमियां अपीलार्थी के पिता एवं काका श्री रतनलाल पुत्र लिम्बा गायरी के 1/2 हक हिस्से अधिकार से अविभाजित स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड रही है तथा उक्त भूमियों पर अन्य पक्षरान द्वारा किये जा रहे अवैध ट्रेसपास एवं कब्जा–काश्त प्रयास के चलते उक्त भूमियों के सह खातेदारान द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित वाद एवं स्थगन आवेदन से स्थगन भी प्राप्त किया हुआ था फिर भी सह–खातेदार द्वारा विवादित भूमियों के नियमानुसार विभाजन के पूर्व ही उक्त भूमियों का अन्यथा बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष में किया जाना तथा उक्त आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या –2 के नाम जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 16.01.2019 स्वीकृत किया जाना अनुचित रहा है। जिसे निरस्त किया जाना अनिवार्य एवं अपेक्षित है।

दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विशेष रूप से धारा 52 भूमि अन्तरण अधिनियम के हवाले से अवगत कराया की किन्हीं भी भूमियों के संबंध में नियमित वाद या स्थगन संचालित रहते ऐसे अन्तरण प्रारम्भ से शुन्य करार माने जाते है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत विविध दस्तावेजों क्रमशः विवादित नामान्तरकण संख्या 796 दिनांक 16.01.2019, नकल आदेशिकाएं एवं प्रार्थना पत्र मेमों नियमित वाद संख्या 183/2011 एवं प्रार्थना पत्र मेंमों 149/2011 तथा स्थगन आदेशिका दिनांक 06.05.2016 के साथ–साथ प्रस्तुत विविध न्यायिक विनिश्चयों क्रमशः RRT–2012 पार्ट – I पेज 223, RLW–2014 पार्ट I पेज 553, RRT–2011 (2) पेज 1264, RRT–2003 (2) पेज 886, RRT–2003 (2) पेज 1212, RRT–2017 पार्ट –2 पेज 1348, RRD–2 K पेज 352, RRT–2017 पार्ट –2 पेज 1352 एवं धारा 52 TP ACT 1882 का भी गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपील में आक्षेपित विवादित नामान्तरकण संख्या 796 दिनांक 16.01.2019 से प्रभावित भूमियों राजस्व ग्राम मानपुरा के खाता संख्या 109 में दर्ज भूमियां 1/2 – 1/2 हक हिस्से से अपीलार्थीगण के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या – 1 के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिस में से उभय पक्ष को अपने हक हिस्से की भूमि बेचान का स्वतन्त्र अधिकार रहा है। जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होना एवं स्थगन व्यादेश संचालित होना उक्त वाद की प्रकृति एवं तृतीय पक्षकारों से संबंध होने से अपील में वर्णित तथ्यों के निर्धारण पर बाधक एवं साधक नहीं है तथा अपील में विचाराधीन नामान्तरकरण सक्षम पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निष्पादित किया गया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है क्योंकि नामान्तकरण मात्र एक राजस्व भूमियों के शिर्षक कार्यवाही मात्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपने हक अधिकारों के विधिवत् निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत नहीं होने से मेरिट आधार पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ